

अध्याय 13

अपील और पुनरीक्षण

नियम 108 : अपील प्राधिकारी को अपील

(1) धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल-1 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ ¹[इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी] और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

²परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

- (i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या
- (ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।]

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल-1 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) ³[जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपील प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाईल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहां अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाईल करने की तारीख से 07 दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाईल करने की तारीख माना जाएगा:

¹ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा "इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

² अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

³ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम 3 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था

“(3) प्ररूप जीएसटी एपीएल-1 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :

परंतु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज प्ररूप जीएसटी एपीएल-1 को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी।”

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

परंतु जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाईल करने की तारीख से 07 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाईल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।]

स्पष्टीकरण-इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाईल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।
